न्या.ए०एस०जे०, कोर्ट नं०–१, फतेहपुर।
सत्र परीक्षण संख्या–१०१३/२०२१
सरकार बनाम अंकित रैदास आदि

१५.०६.२०२२

पत्रावली पेश हई। अभियुक्तगण अंकित रैदास, पिंकू उर्फ बबलू उपस्थित व राजकुमार कारागार से उपस्थित। अभियुक्त राजकुमार की ओर से जेल अधीक्षक फतेहपुर के माध्यम से जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थनापत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि अ०सं०–३००/२१ धारा–३७९, ४११ भा०दं०सं० थाना बिन्दकी में २९.०८.२१ से कारागार में निरुद्ध है और स्वेच्छया जुर्म स्वीकार करना चाहता है। इसलिए जेल में बितायी गयी अवधि से दण्डित करने की याचना की गयी है।

प्रार्थनापत्र पर अभियुक्त का बयान अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने अपने विरुद्ध धारा–३७९, ४११ भा०दं०सं० के आरोप को सही विरचित होना कहते हुये स्वेच्छया जुर्म स्वीकार करना कहा है तथा यह कथन किया है कि गरीब एवं परिवार का एकमात्र वयस्क सदस्य है। इसलिए कम से कम सजा देकर रिहा किया जाये।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्री रहस बिहारी श्रीवास्तव द्वारा अधिकतम दण्ड से दण्डित करने का तर्क प्रस्तुत किया गया है ।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि अभियुक्त राजकुमार रैदास का प्रथम रिमाण्ड अ०सं०–३००/२१ थाना बिन्दकी जनपद फतेहपुर अन्तर्गत धारा–३७९, ४११ भा०दं०सं० में २९.०८.२१ को बना था, तब से अभियुक्त कारागार में निरुद्ध है। अभियुक्त के पास से कोई बरामदगी प्रश्नगत प्रकरण में नहीं दर्शित किया गया है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों के अनुक्रम में अभियुक्त राजकुमार रैदास के जुर्म स्वीकारोक्ति के प्रार्थनापत्र के आधार पर अभियुक्त को एक वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया जाना समीचीन होगा।

आदेश

अभियुक्त राजकुमार रैदास को अ०सं०–३००/२१ धारा–३७९, ४११ भा०दं०सं० थाना बिन्दकी, जनपद फतेहपुर से उत्पन्न सत्र विचारण संख्या–१०१३/२१ में एक वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया जाता है। अभियुक्त द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में जेल में बितायी गयी अवधि धारा–४२८ दं०प्र०सं० के अन्तर्गत समायोजित की जाएगी।

अभियुक्त का सजायाबी वारण्ट बनाकर जिला कारागार प्रेषित किया जाए।

अपर जनपद न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–१,
फतेहपुर।